न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 170/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/237)

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखविन्द्र कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. लवप्रीत सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसविन्द्र कौर पत्नी मंगतराज जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 4. गुरसेवक सिंह पुत्र मंगतराज जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 5. अब्लू सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।	1. नाजर सिंह पुत्र पोला सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 11.06.2025

उपस्थितः 1. श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

——निर्णय—— **दिनांकः 31.10.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 39 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र 48 जीजी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 143/119 के मुरब्बा नम्बर 62 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादी एक ही गांव व परिवार के सदस्यगण है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है, लेकिन वादी एंव प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि की आपसी सहूलियत से मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा अपनी-अपनी उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। मौखिक बंटवारानामा अनुसार वादी संख्या 1 को चक 39 जीजी के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक सालम-सालम, वादी संख्या 2 को मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक 10-10 बिस्वा, किला नम्बर 21 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 22 के 17 बिस्वा भूमि, वादी संख्या 3 को मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 11 ता 15 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 19 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 20 सालम भूमि, वादी संख्या 4 को मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक के 10-10 बिस्वा, वादी संख्या 5 को मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 16, 17, 18, 24, 25 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 22 के 3 बिस्वा, किला नम्बर 19 के 2 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपना तमाम हिस्सा वादी संख्या 5 को बंटवारा में दिया हुआ है। वादीगण मौखिक बंटवारा अनुसार प्राप्त भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त किए हुए है। लेकिन उक्त भूमि कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं है। रकबा का बंटवारा के अनुसार विभाजन नही होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण बंटवारा के अनुसार राजस्व अभिलेख में भूमि का अंकन करवाना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान द्वारा भूमि का बंटवारा किया हुआ है, लेकिन एक साथ पक्षकारान एकत्रित होने में असमर्थ है। इस कारण उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 39 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र 48 जीजी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 143/119 के मुरब्बा नम्बर 62 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को घरू बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित आए। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा अनुसार वादी संख्या 1 को चक 39 जीजी के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक सालम-सालम भूमि का, वादी संख्या 2 को मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक 10-10 बिस्वा, किला नम्बर 21 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 22 के 17 बिस्वा भूमि का, वादी संख्या 3 को मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 11 ता 15 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 19 के 18 बिस्वा, किला नम्बर 20 सालम भूमि का, वादी संख्या 4 को मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक के 10-10 बिस्वा का, वादी संख्या 5 को मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 16, 17, 18, 24, 25 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 22 के 3 बिस्वा, किला नम्बर 19 के 2 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता कायम किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण का वादपत्र, राजीनामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र उभयपक्ष की सहमति मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 39 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र 48 जीजी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 143/119 के मुरब्बा नम्बर 62 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को हिस्से मुताबिक खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	तहसील व राजस्व ग्राम	मु.न.	किला नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सुखविन्द्र कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। (1.265 हैक्टेयर)	श्रीकरणपुर ,39 जीजी	62	1 ता 5	1.265 हैक्टेयर	नहरी	9.50
2	लवप्रीत सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। (1.113 हैक्टेयर)	श्रीकरणपुर ,39 जीजी	62	6 7 8 9 10 19 21 22	0.126 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.038 हैक्टेयर 0.215 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.71 0.29 1.61
3	जसविन्द्र कौर पत्नी मंगतराज जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। (1.733 हैक्टेयर)	श्रीकरणपुर ,39 जीजी	62	11 ता 15 21 20	1.265 हैक्टेयर 0.215 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	9.50 1.61 1.90
4	गुरसेवक सिंह पुत्र मंगतराज जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। (0.633 हैक्टेयर)	श्रीकरणपुर ,39 जीजी	62	6 7 8 9 10	0.127 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी
...पुर (श्रीगंगानगर)

5	अब्लू सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। (1.581 हैक्टेयर)	श्रीकरणपुर ,39 जीजी	62	16, 17, 18 19 22 23, 24, 25	0.759 हैक्टेयर 0.025 हैक्टेयर 0.038 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	5.70 0.19 0.29 5.40

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। राजीनामा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर